बिहार-सरकार

राज्यपाल।

महामहिम श्री माधव श्री हरि अणे

मन्त्रिमण्डल।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह, मुख्य मन्त्री——राजनीति, नियुक्ति तथा न्याय विभाग।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह, मन्त्री——वित्त, श्रम, पूर्त्ति और मूल्य-नियंत्रण विभाग।

माननीय डा० सैयद महमूद, मन्त्री——विकास (गृह-शिल्प छोड़ कर), कृषि, खाद वितरण तथा एग्रिकोल, पशु चिकित्सा, पशुपालन, सहयोग, शिल्प तथा यातायात विभाग।

माननीय श्री जगलाल चौधरी, मन्त्री——जन-स्वास्थ्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।

माननीय श्री रामचरित्र सिंह, मन्त्री——सिंचाई (वृहत तथा माध्यमिक सिंचाई और चौर-उत्सारण इसमें सम्मिलित हैं), विद्युत, जन-स्वास्थ्य (इन्जीनियरिंग) तथा विधायी विभाग।

माननीय श्री बदरी नाथ वर्मा, मन्त्री——साहाय्य एवं पुनर्वास, शिक्षा तथा जन सम्पर्क विभाग।

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, मन्त्री——राजस्व, जंगल, कल्याण (आदिम जाति तथा पिछड़ी जातियां), आवकारी, निबंधन, लघु सिंचन तथा बंजर भूमि कर्षण विभाग।

माननीय पण्डित विनोदानन्द झा, मन्त्री——स्थानीय स्वायत्त शासन एवं चिकित्सा विभाग।

माननीय श्री अब्दुल क्यूम अंसारी, मन्त्री——लोक कर्म गृह, शिल्प तथा कल्याण (पिछड़े मुसलमान) विभाग।

बिहार विधान सभा के प्रधान अधिकारीगण।

अध्यक्ष——माननीय श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, बी०ए०, बी०एल०।

उपाध्यक्ष——श्री देवशरण सिंह।

सचिव——श्री रघुनाथ प्रसाद, एम०ए०, बी०एल०।

सहायक सचिव——श्री हरिवंश लाल।

अपर सहायक सचिव——श्री विश्वेश्वर प्रसाद।

सभापति की तालिका।

(१) श्री इगनेस बेक।
(२) श्री हरिनाथ मिश्र।
(३) डाक्टर रघुनन्दन प्रसाद।
(४) श्रीमती जोहरा अहमद।

राजनैतिक कार्यकर्त्ता की निर्मम हत्या।

१२। श्री शंकर नाथ—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सरकार का ध्यान "ग्रूसम मर्डर ऑफ पोलिटिकल वर्कर" शीर्षक समाचार की ओर गया है जो १२ मई, १९५१ के स्थानीय अंग्रेजी दैनिक के प्रातः संस्करण में निकला है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने को सोंचती है?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) उत्तर 'हां' में है।

(ख) सरकार ने सी० आई० डी० को इस मामले की जांच करने का निदेश दिया है।

जनवरी, फरवरी और मार्च, १९५१ के अन्तर्गत बिहार-नेपाल सीमा पर जुर्म और डकैती।

१३। श्री जयनारायण झा 'विनीत'—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) (१) जनवरी, फरवरी और मार्च, १९५१ में बिहार-नेपाल की सीमावर्त्ती क्षेत्रों में चोरियों तथा अपहरण के कितने काण्ड हुए;

(२) इन चोरियों और डकैतियों के फलस्वरूप कितने लोग हताहत हुए तथा कितने रुपयों की संपत्ति ले ली गई;

(३) अपहृत व्यक्तियों में से कितने का पुनरुद्धार किया जा सका है;

(ख) उपर के खंड (१), (२) और (३) में पूछी गई बातों की स्थिति उक्त क्षेत्रों में से १९५० के जनवरी, फरवरी और मार्च में क्या रही;

(ग) इन सीमावर्त्ती-क्षेत्रों के बिहारी नागरिकों के उपद्रव से बचाने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या कार्य किये गये ;

(घ) सुरक्षात्मक विशेष सूप्रबन्ध के लिए बिहार सरकार को अनुमानतः कितना अधिक व्यय करना पड़ा है?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) (१) नेपाल की सीमा की सीमावर्त्ती इलाके में जनवरी, फरवरी और मार्च, १९५१ महीनों में सुचित चोरियों, डकैतियों तथा अपहरणों की कुल संख्याएं इस प्रकार हैं:—

	जनवरी, १९५१।	फरवरी, १९५१।	मार्च, १९५१।
चोरियां ..	१९	२७	१६
डकैतियां ..	६	१२	११
अपहरण ..	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(२) एक व्यक्ति हताहत हुआ। ३६,४५७ रु० १२ आ० के मूल्य की संपत्ति चोरी गई।